न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्र.सं. 117/2012
टीसीएमएस : 2012/00192
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर । —:वादी

बनाम

1. विवके गर्ग पुत्र श्री कृष्णलाल गर्ग जाति अग्रवाल साकिन रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्त0 अधि0 1955</u>

तारीख रजू 30.09.2014

उपस्थितअधिवक्तागण
1. राजपैरोकार सरकार ।
2. **श्री रबिन्द्र बिश्नोई प्रतिवादी अधि.।**

—: निर्णय :— दिनांक : 29.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक चक 25 पीएसबी का मु.नं. 23 प.नं. 210/292 आदेश 25.07.2013 कि.नं. 1 में 0.253 है., 10/1 में 0.100 है, 11 में 0.253है, 18/2 में 0.152है., 20 में 0.253 है. कुल रकबा 1.110 है. नहरी के संबंध में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चौसाला में संवत 2065—2068 में खातेदार दर्ज है। जिसका वाद न्यायालय में पेश किया गया जा चुका है। रिपोर्ट पटवारी हल्का 25 पीएस बी के अनुसार इस रकबा में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण करवाये एवं नगर नियोजक विभाग की अनुमति के बिना कॉलोनी काटकर अवैध रूप से प्लाटों का विक्रय किया है और किया जा रहा है जिसमें से अधिकाश प्लाटों का विक्रय किया जा चुका है खातेदारों द्वारा उक्त भूमि की पानी की बारी का अन्य रकबा में उपयोग किया जा रहा है। जबकि यह रकबा कॉलोनी हेतु प्लाट काटकर विक्रय किया जा चुका है जिसमें वर्तमान मे कोई फसल काश्त नही हो रही है। अप्राथीगण द्वारा कृषि भूमि पर बिना वैद्य स्वीकृति व रूपान्तरण राशि जमा करवाये अवैध रूप से कॉलोनी काटकर अतिचार किया जा रहा है। यदि उन्हे रोका नहीं गया तो राज्य पक्ष अपूर्णय क्षति होगी। बिना किसी प्लान के अवैध कॉलोनिया का निर्माण हो जाएगा। जो आगामी विकास में बाधा बनेगी। वाद पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। वाद अन्दर मियाद है। वाद राज्य हित में होने के कारण कोर्ट फीस शुल्क से मुक्त है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज फरमाये जायेगे। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा उपरोक्त भूमि पर बिना भूमि रूपान्तरण करवाये आवासी प्लाट काटकर विक्रय कर अतिचार किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि भूमि के बिना भूमि रूपान्तरण करवाये प्लाट काटकर विक्रय किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 की धारा 177 की दण्डनिय होने के कारण भूमि पर अतिचार व अवैध कॉलोनी निर्माण हो रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212(2) के तहत रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित होगा। अतः वाद दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रकबा को रकबा राज घोषित किया जाकर बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान किये

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. [illegible] की तरफ से श्री रविन्द्र विश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल किया गया। [illegible] से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया। कि उक्त दावा मे वादी [illegible] व मनगढ़त दर्ज किये गये है सिंचाई पानी लिफट [illegible] जा रही है भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया है उक्त दावा मिया[illegible] पेश किया है अतिरिक्त आपतियों में अंकित किया है कि वादी [illegible] कब व [illegible] बिनाये दावा व बिनाये मुखामस्त प्राप्त हुआ का [illegible] में नहीं किया ना ही [illegible] को सत्यापित किया गया है तथा स्पष्ट रूप से मियाद बाहर पेश किया गया है ऐसी सूरत में वाद वादी काबिल निरस्ती के है और वादी कोई अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

AnyScanner

नहीं है कृषि भूमि के छोटे टुकड़े के बेचान पर किसी प्रकार की कोई रोक नही है इसी कारण से छोटे टुकड़े के बैयनामा पंजीयन किये जा रहे है। इसके अलावा छोटे टुकड़े में बेचान को धारा 90 ए के तहत नियमन किया जा सकता है। उल्लेखित रकबा खाली है और नगरपालिका परिधि (पैराफेरी) मे है। वाद वादी विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतः जवाव दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी मौजूदा स्तर पर मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे। खर्चा जवाब देही व विशेष हर्जाना मिन प्रतिवादी को वादी से दिलाया जावे। अति कृपा होगी।

3. हम विधिक तनकीयात कायम कर निर्णय करना उचित समझते है निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि विवादित भूमि चक 25 पीएस 'बी' के मु.नं. 23 के पं.नं. 210/292 के . 1 में 0.253 है., 10/1 में 0.100 है, 11 में 0.253है, 18/2 में 0.152है., 20 में 0.253 है. कुल रकबा 1.110 है. नहरी भूमि प्रतिवादी बतौर खातेदार दर्ज है।
   –:राजपैरोकार
2. आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लाटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।
   –:राजपैरोकार
3. आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है।
   –:राजपैरोकार
4. आया कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्व बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है।
   –:प्रतिवादी
5. आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है।
   –: प्रतिवादी
6. अनुतोष।

4. साक्ष्य वादी में सरकार की तरफ से राजपैरोकार का कथन है कि दावा पत्र व पटवार हल्का की मौका रिपोर्ट व तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ही साक्ष्य माने जावे। सरकार की तरफ से अन्य कोई साक्ष्य वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गये। अतः साक्ष्यवादी बन्द किया गया।

5. प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई मौके दिये गये परन्तु प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाते है।

6. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या (A) आया कि विवादित भूमि चक 25 पीएस 'बी' के मु.नं. 23 के पं.नं. 210/292 के . 1 में 0.253 है., 10/1 में 0.100 है, 11 में 0.253है, 18/2 में 0.152है., 20 में 0.253 है. कुल रकबा 1.110 है. नहरी भूमि प्रतिवादी बतौर खातेदार दर्ज है।
–:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था राजपैरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/जमाबन्दी के अनुसार चक 25 पीएस 'बी' मु.नं. 23 पं.नं. 210/292 के . 1 में 0.253 है., 10/1 में 0.100 है, 11 में 0.253है, 18/2 में 0.152है., 20 में 0.253 है. कुल रकबा 1.110 है. [illegible] वके गर्ग वल्द कृष्णलाल जाति अग्रवाल के नाम बतौर खातेदार [illegible] है। इस तनकी को प्रमाणित करने में वादी सफल रहे है [illegible] निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (B) आया कि खातेदार द्वारा विवादित भूमि को बिना रूपान्तरण कराये एवं नगर नियोजन विभाग की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी को काटकर प्लाटों का विक्रय कर अतिचार कराया गया है।
–:राजपैरोकार

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:38 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी/राजपैरोकार पर था। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के अनुसार प्रतिवादी द्वारा बिना भूमि को रूपान्तरित करवाये व बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति के कृषि भूमि का अकृषि कार्यों में उपयोग लिया जा रहा है। अवैध रूप से प्लाट काटकर विक्रय किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव दावा में भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा कृषि भूमि को छोटे- छोटे टुकड़ों/प्लाटों के रूप में विक्रय किया गया है। जिनके बैयनामा पंजीकृत करवाये है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (C) आया कि प्रतिवादी खातेदार द्वारा कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से कॉलोनी काट कर राज्य सरकार को अपूर्णीय क्षति होने से धारा 177 आर.टी.ए. के तहत दण्डनीय होने से रकबाराज घोषित किया जा सकता है। —:राजपैरोकार

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी/प्रार्थी/राजपैरोकार पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/शपथ पत्र/पटवार हल्का रिपोर्ट आदि से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि को बिना भू-रूपान्तरण करवाये प्लाटों के रूप में वर्गीकृत कर विक्रय किया जा रहा है। संपरिवर्तन नहीं करवाने से संपरिवर्तन शुल्क राजकोष में जमा नहीं हुआ है। इससे राज्य सरकार को आर्थिक/राजस्व हानि हुई है। यह तनकी बहक प्रार्थी/वादी/राजपैरोकार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (D) आया कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्व बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत करने का अधिकारी नहीं है। —:प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससें यह साबित हो कि कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण किये अकृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जाना बैद्य है जामबंदी विवादित भूमि वाके चक 25 पीएस 'बी' के मु.नं. 23 पं.नं. 210/292 के कि.नं. 1/0.253 है., 10/1 में 0.100 है, 11 में 0.253है, 18/2 में 0.152है., 20 में 0.253 है. कुल रकबा 1.110 है. नहरी विवके गर्ग वल्द कृष्णलाल गर्ग खातेदार ई.नं. रहन फक, 141—बैयनामा दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि कृषि भूमि है। तथा कृषि भूमि को अकृषि में रूपान्तरण करवाये आवासीय भूमि में प्रयोग में लिया जा रहा है। राज.काश्त. अधिनियम के विद्यिक प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमि का आवासीय भूमि के रूप में प्रयोग करना अवैध है तथा राज्य सरकार को प्रतिवादी के विरूद्व यही बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत हासिल हैं। प्रतिवादी उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने में असमर्थ रहा है अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्व तथा वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

तनकी संख्या (E) आया कि विवादित भूमि को नियम 90 ए के तहत नियमन हो चुका है। इसलिए वाद काबिल खारिज है। —: प्रतिवादी

इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज /साक्ष्य पेश नहीं किया गया। जिससें यह सिद्व होता है कि भूमि का नियमन हो चुका है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या (F) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या [illegible] निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना [illegible] समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जातीहै।

—:क्रियात्मक आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी/रा[illegible]कार तनकीयात को सिद्व करने में सफल रहे है। खातेदार/प्रतिवादी द्वारा [illegible] बिना संपरिवर्तन करवाये/ बिना नगर नियोजन विभाग की अनुमति [illegible]—छोटे भूखण्डों /प्लाटों के रूप में विक्रय किया जा रहा है यह कृषि भूमि के लिए अहितकर है तथा जिस प्रयोजन के लिए भूमि खातेदार को दी गई थी उस प्रयोजन के विपरीत है तथा राज. काश्तकारी अधि. 1956 व भू.राजस्व अधि. 1956 की धारा 90ए के प्रवधानों का

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:38 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

उल्लघंन किया गया है तथा राज्य सरकार की नीतियों का सरासर उल्लघंन है। अतः उपयुक्त वादीग्रस्त रकबा चक 25 पीएस बी मु.नं. 23 पं.नं. 210/292 के . 1 में 0.253 है., 10/1 में 0.100 है, 11 में 0.253है, 18/2 में 0.152है., 20 में 0.253 है. कुल रकबा 1.110 है. नहरी भूमि को रकबाराज घोषित किया जाता है। तहसीलदार रायसिंहनगर को उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा राजस्व रिकार्ड में रकबाराज दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर, जिला अनुपगढ

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनुपगढ

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:38 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner